

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2018 शस्त्र अधिनियम

अनवानी :- किशोरसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी अड़सीसर  
तहसील सरदारशहर जिला चूरु।

----- अपीलान्त

--- बनाम ---

राजस्थान राज्य।


----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- श्री राजेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांत  
श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की  
ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसमें अपीलांत के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत ने अपने मित्र श्री अमीलाल पुत्र महीपाल पूनिया निवासी अड़सीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरु के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 383/97 पर दर्ज एक डीबीबीएल गन को अपने नाम से स्थानान्तरित कराने के उद्देश्य से अपीलांत ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष प्रथमतः दिनांक 21.8.16 एवं नये शस्त्र नियमों के अन्तर्गत दिनांक 25.10.16 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु, एवं उप वन संरक्षक चूरु से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु से पत्र दिनांक 17.2.17 एवं 06.04.17 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें आवेदक के जीवन को खतरे सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने, आवेदक के जीवन को खतरा होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली के संलग्न नहीं होने तथा अपीलान्त द्वारा आरमोर का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट

  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

चूरु के आदेश/पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 6/8.3.18 के अनुसार अपीलान्त को सूचना प्रेषित की गयी कि "प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज शामिल नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार सूचना प्रेषित है।" का उल्लेख करते हुए अपीलान्त का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त सूचना पत्र से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त श्री राजेन्द्रसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व अपीलांत द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों पर गौर नहीं किया है। जिला कलक्टर, चूरु के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें आवेदन किया कि अपीलार्थी व्यापारी है, जिसे अपने मित्र ईमीलाल पूनिया का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 383/97 अपने नाम से स्थानान्तरण करवाना चाहता है। अपीलार्थी को व्यापार के सिलसिले में नियमित रूप से भ्रमण करना होता है। व्यापारियों के साथ आये दिन लूटपाट होती है, इसलिए अपीलार्थी को भी जान-माल का खतरा महसूस हो रहा है। इसी आधार पर अपीलार्थी ने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। अपीलार्थी के आवेदन करने पर अपीलार्थी के चरित्र सत्यापन हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु एवं वन विभाग से भी जांच कर रिपोर्ट ली गई है, जिसमें अपीलांत के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में आवेदन पत्र खारिज किये जाने के संबंध में जो आधार लिये हैं, वह उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जावे।
5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों के संबंध में समुचित साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलांत अपने मित्र के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को दान / उपहार में प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन किया गया है, अपीलान्त के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त रिपोर्ट में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने तथा ना ही आरमोर




संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का आधार लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 06.03.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश में लिये गये आधार उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रथमतः दिनांक 21.8.16 को एवं नये शस्त्र नियमों के अन्तर्गत दिनांक 25.10.16 को जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को व्यापार के सिलसिले में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता है। परन्तु अपीलांट को अपनी जान-माल का खतरा होने संबंधी कोई साक्ष्य या सबूत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 17.2.17/06.04.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं की गयी है एवं अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जीवन के खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने पर पत्र दिनांक 6.3.18 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी आत्म सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा ना ही आरमोर का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश 27.2.18 एवं सूचना दिनांक 6.3.18 में जो आधार लिये गये हैं, वह उचित है। हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.18 एवं सूचना पत्र दिनांक 6.03.2018, जिसके विरुद्ध अपील की गयी, को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(हनुमान सहाय मीना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर